



न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल खालियर म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका क्र. :-

58

दिनांक :-

R. 329-II/14

1. परसराम पिता भूरिया निवासी ग्राम रत्नापुर तह. नेपानगर जिला बुरहानुपर म.प्र.
2. जासोबाई पुत्री भाऊ निवासी ग्राम अंवाडी पो. दाविदा तह. धारणी जिला अमरावती महाराष्ट्र।

----- आवेदकगण / पिटीशनर

विरुद्ध

1. सरस्वतीबाई पुत्री पटल्या
2. पारुबाई पति स्व. सखाराम
3. दिनेश पिता स्व. सखाराम
4. लक्ष्मण पिता सानु
5. तुमला पिता सानू सभी निवासी ग्राम रत्नापुर तह. नेपानगर जिला बुरहानुपर म.प्र.।

----- अनावेदकगण / नान पिटीशनर

पुनरीक्षण याचिका - धारा 50 म.प्र. भू.सा.संहिता

आवेदकगण / पिटीशनर निवेदन करते हैं कि :-

1. यह कि आवेदकगण यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नेपानगर जिला बुरहानपुर म.प्र. के प्रथम राजस्व अपील क्र. 1 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21/08/2012 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहे हैं।

.....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 329-पीबीआर/16

जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। अनावेदकगण को सूचना दिया जाये।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> <p style="text-align: center;">झौठ</p>	